E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2025; 7(8): 128-136
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 11-05-2025
Accepted: 14-06-2025

डॉ० महेश कुमार पिन्टू
राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा,बिहार, भारत।

Corresponding Author:
डॉ० महेश कुमार पिन्टू
राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा,बिहार, भारत।

बिहार की चुनावी राजनीति में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की भूमिकाः 1990–2024

महेश कुमार पिन्टू

DOI: https://www.doi.org/10.33545/26646021.2025.v7.i8b.632

सारांश
लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इसके द्वारा लोगों की सहभागिता सुनिश्चित होती है। चुनावी राजनीति का संबंध उस राजनीति से होता है जो चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में होता है। यद्यपि चुनाव किसी विशेष समय में होते है जबकि चुनावी राजनीति चुनावों से पूर्व ही शुरू हो जाती है। लोकतंत्र में चुनावी राजनीति एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत लोकतंत्र की बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ शामिल है। चुनावी राजनीति में राजनीतिक दलों, नेताओं, सांस्कृतिक संगठनों, धार्मिक संगठनों, जातीय संगठनों, जातीय समूहों, दबाव समूहों इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतंत्र में चुनावी राजनीति की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से मतदाता की सहभागिता होती है। समाज के विभिन्न समूहों से लोगों का चुनावों में भाग लेना लोकतंत्र की सफलता के प्रमुख मापदंड माने जाते है। भारत का संविधान सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अधिकार देता है जिसके माध्यम से विभिन्न समाज के लोग चुनावी राजनीति प्रक्रिया में शामिल होते है। सैन्य तानाशाह भी चुनावी राजनीति के माध्यम से अपनी सत्ता को जनता की नजर में न्यायोचित साबित करने की कोशिश करता है। इस शोध में चुनावी राजनीति के महत्व को रेखांकित किया जाएगा।
भारत में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जून 1975 में आपातकाल लगाया गया था। इस आपातकाल का देशव्यापी विरोध हुआ। इस आपातकाल के बाद हुए चुनाव में वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी की सरकार ने बी० पी० मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को जानने और उनके बेहतरी के लिए दिसम्बर 1978 में पिछड़ी आयोग का गठन किया था। यह पिछड़ा आयोग मंडल आयोग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंडल आयोग द्वारा वर्ष 1980 में रिपोर्ट सरकार को समर्पित किया गया। मंडल आयोग की रिपोर्ट को बी० पी० सिंह की सरकार ने लागू किया था। इसके तहत पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसके साथ ही मंडल आयोग ने पिछड़े जातियों की राजनीति को एक दिशा दिया। मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने में बिहार के प्रमुख नेताओं कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, कांशीराम और जार्ज फर्नांडीस इत्यादि नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस रिपोर्ट के लागू हो जाने के बाद बिहार के नए राजनीतिक समीकरण में पिछड़ी एवं अत्यंत पिछड़ी जातियों ने बिहार की चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू किया। बिहार में वर्ष 1990 से वर्ष 2024 तक हुए लोकसभा और विधान सभा के चुनाव में पिछड़ी जातियों ने अहम भूमिका निभायी है। बिहार में पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जातियों की बहुसंख्यक आबादी है जिसके कारण भी चुनावी राजनीति में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस शोध में बिहार में चुनावी राजनीति में पिछड़ी एवं अत्यंत पिछड़ी जातियों की भूमिका का मूल्याँकन किया जाएगा।

कुटशब्दः लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली, चुनावी राजनीति, मतदान व्यवहार, वयस्क मताधिकार, मंडल आयोग, मंडल राजनीति, पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति, राजनीतिक चेतना, जातिगत सर्वेक्षण, जातिगत जनगणना, आरक्षण, सामाजिक न्याय

प्रस्तावना
भारत की संसदीय प्रणाली संवैधानिक लोकतंत्र के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की विरासत है। संसद में द्विसदनीय विधायिका शामिल हैरू राज्य सभा, 250 सदस्यों वाला ऊपरी सदन, जहाँ सदस्य राज्य विधान सभाओं द्वारा चुने जाते हैं (12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं), और लोकसभा, 543 सदस्यों वाला निचला सदन जो सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में, मतदाता चुनावी प्रणाली के आधार पर उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं, जहाँ प्रत्येक जिले में सबसे अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति चुनाव जीतता है। चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है। लोकतंत्र के कई स्वरूप हो सकते हैं यानी कि लोकतंत्र प्रतिनिधित्यात्मक और संसदीय प्रणाली के स्वरूप में हो सकता है। लोकतंत्र के विविध प्रारूपों को गतिशीलता एवं जीवंत्तता चुनाव प्रदान करता है (अंकित 2018, पृष्ठ संख्या–4)। चुनाव प्रणाली से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को चुनावी राजनीति कहा जाता है।

लोकतंत्र में चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मतदाता संविधान द्वारा प्रदत सार्वभौम वयस्क मताधिकार का उपयोग करते हुए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है। इसी प्रक्रिया को चुनावी राजनीति कहा जाता है।

चुनावी राजनीति के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि विधायिकाओं में जनता का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान समय में मतदान का आधार "एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य" हो गया है। इस तरह से चुनावी राजनीति में राजनीतिक समानता स्वीकार कर ली गई है। चुनावी राजनीति के कई कार्य होते है। इनका प्रमुख लक्ष्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार की स्थापना करना होता है। चुनावी राजनीति प्रक्रिया सरकार और जनता के मध्य कड़ी का कार्य करता है। यह एक तरह का संचार के माध्यम का कार्य करता है। इसके माध्यम से किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में जन समर्थन जुटा कर प्रदर्शन किया जाता है। चुनावी राजनीति एक ऐसा माध्यम जो राजनीतिक नेताओं की तलाश करता है या उनको राजनीति में भागीरदार बनाता है (गुप्ता 2004, पृष्ठ संख्या–36)। चुनावी राजनीति के माध्यम से ही मतदाताओं के प्रति सरकार का उतरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है। एक अच्छी चुनावी राजनीति प्रक्रिया ही असली प्रतिनिधि सरकार की आधारशिला है।

चुनावी राजनीति प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न समाज के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाता है। स्वतंत्र भारत में पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना विभिन्न राजनीतिक दलों, विविध जातीय समूहों, नेताओं इत्यादि के द्वारा आया है (श्रीवास्तव 2014, पृष्ठ संख्या–679)। बिहार राजनीतिक रूप से बहुत जागृत है। 1960 के दशक में राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (संसोपा) ने पिछड़े जातियों के पिछड़ापन और इसके समाधान का मुद्दा उठाया था। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने पिछड़े वर्गों के राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकारों के लिए तत्कालीन सरकार के खि़लाफ लोकतांत्रिक लड़ायी लड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर लोहियावादी सिद्धांतो के अनुयायी थे। बिहार में पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने का काम जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया था (राजकिशोर 2016, पृष्ठ संख्या–1)। उनके अथक प्रयास से बिहार की पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना जागृत हुआ था। सम्पूर्ण क्रांति से निकले पिछड़ी जाति के छात्र नेता कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी बन गए।

बिहार में लोकनायक जय प्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रांति में छात्रों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इस सम्पूर्ण क्रांति में पिछड़ी जातियों के छात्र नेताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। बिहार में सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन की बागडोर पिछड़ी जाति के छात्र नेता श्री लालू प्रसाद, श्री नीतीश कुमार, श्री रामविलास पासवान, श्री शरद यादव, श्री जार्ज फर्नांडीस इत्यादि के हाथों में था। जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतो पर आधारित राजनीतिक दल बना कर पिछड़ी जाति के नेताओं ने उनके काम को आगे बढ़ाया (झा और पुष्पेंद्र 2016, पृष्ठ संख्या–24)। बिहार में वर्ष 1990 से वर्ष 2024 के बीच कई विधान सभा चुनाव हुआ है। इन चुनावों में पिछड़ी जाति के नेताओं ने जीत कर सत्ता अपने हाथों में रखा है। इस दौरान कई राजनीतिक दल और गठबंधन बने लेकिन सत्ता पिछड़ी जाति के नेताओं के हाथ में रहा है। इस संदर्भ में इस शोध में इस समयावधि में बिहार की चुनावी राजनीति में पिछड़ी जातियों की भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

जब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने सभी सामाजिक समूहों को, जिनमें पहले वंचित लोग भी शामिल थे, मतदान का अधिकार प्रदान किया, तो जाति राजनीतिक लामबंदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक के रूप में उभरी (गुप्ता 2004, पृष्ठ संख्या–12)। राजनीतिक सिद्धांतकार प्रताप भानु मेहता ने 2003 की पुस्तक द बर्डेन ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा है कि ऐसा आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि जाति ष्भारतीय समाज में वर्चस्व और अधीनता की धुरी थीष और राज्य ने जाति की श्रेणियों को मंजूरी देकर लामबंदी के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया। लेकिन उनका तर्क है कि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ष्कुछ अन्य प्रतिस्पर्धी विचारधाराएँ थीं जो लोगों को जाति के तरीके से अपनी सामाजिक परिस्थितियों को समझने की अनुमति देती थीं।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय मतदाताओं ने राजनीतिक भागीदारी के मानक कानून को उलट दिया है। भारत में, पिछड़ी जातियाँ उच्च जातियों की तुलना में अधिक मतदान करती हैं, और गरीब लोग अमीरों की तुलना में अधिक या अधिक बार मतदान करते हैं (श्रीवास्तव 2014, पृष्ठ संख्या–680)। इसी तरह, अशिक्षित लोग शिक्षित लोगों की तुलना में अधिक बार मतदान करते हैं, और ग्रामीण मतदाता शहरी आबादी की तुलना में अधिक बार मतदान करते हैं। मिशिगन विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय ने 2007 में फॉरेन अफेयर्स में लिखा था कि भारत का सार्वभौमिक मताधिकार आधुनिक औधोगिक दौर में संक्रमणकालीन दौर से बहुत पहले से है (कपूर और रवि 2020, पृष्ठ संख्या–2)।

लोकतंत्र में चुनावी राजनीति की भूमिका

भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत के लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी निभाता है। निर्वाचित सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार शासन चलाता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा के माध्यम से दुनिया का बेहतरीन संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माताओं ने संविधान को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से ऊपर रखा है। भारत में संविधान सर्वोच्च है यानी कि सरकार संविधान द्वारा प्रदत अधिकार के अधीन ही कार्य कर सकता है। साथ ही साथ भारतीय संविधान सिर्फ दस्तावेज नहीं है बल्कि गतिशील भी है। भारतीय संविधान को गतिशीलता न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या, विधायिका द्वारा संविधान संशोधन, विधायिका द्वारा निर्मित अधिनियम, चुनावी राजनीति इत्यादि से मिलता है (प्रेस सूचना ब्यूरो 2025, पृष्ठ संख्या–1)।

चुनावी राजनीति संविधान को सुरक्षा प्रदान करता है। चुनावी राजनीति चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। इसके अंतर्गत निर्धारित समय पर विधायिका के लिए निर्वाचन होता है। चुनावी राजनीति की मूल क्रिया विधि यह है की इसके द्वारा जनता के प्रति सरकारों की जिम्मेवारी सुनिश्चित किया जाता है (विश्व बैंक 2017, पृष्ठ संख्या–1)। चुनावी राजनीति राजनीतिक दलों के गतिविधि, उद्देश्यों, कार्यक्रम इत्यादि को प्रभावित करता है। दरअसल चुनावी राजनीति व्यापक अवधारणा है जिसके माध्यम से विधायिका के लिए निर्वाचन से लेकर राजनीतिक दलों की राजनीतिक क्रियाकलाप शामिल है। चुनावी राजनीति जनसाधारण की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाता है। चुनावी राजनीति मतदाताओं को शिक्षित करता है। यह सरकार को वैधता प्रदान करता है। चुनावी राजनीति में कई प्रक्रियाएँ शामिल है। सभी प्रकार के नेतागण, राजनीतिक दल, फौजी तानाशाह, असैनिक अधिनायक इत्यादि शासन करने हेतु वैधता प्रदान करने में चुनावों की शक्ति और महत्व को मान्यता देता है (अब्जर्वर रीसर्च फाउंडेशन 2019, पृष्ठ संख्या–1)। चुनाव ही यह व्यवस्था देते है जिससे की वैध राजनीतिक सत्ता नीचे से ऊपर प्रवाहित होता है। लोकतांत्रिक परम्परायें चुनावों के माध्यम से ही कायम रखी जाती है और मजबूती प्रदान की जाती है। चुनाव ऐसी राजनीतिक प्रक्रियाएँ है जो समाज व राज्य–व्यवस्था के बीच तथा पारम्परिक समाज व्यवस्थाओं व उत्पन्न होते राजनीतिक दृष्टिकोण के बीच एक सेतु का काम करती है। चुनाव विभिन्न राजनीतिक

व्यवस्थाओं में विभिन्न भूमिकाएँ निभाती है। चुनाव वैधता, एकीकरण, संचारण, राजनीति शिक्षा, भागीदारी, समाजीकरण, विवाद समाधान, राजनीतिक चयन और राजनीतिक चयन हेतु उपाय है (विश्व बैंक 2017, पृष्ठ संख्या–2)। चुनाव किसी राजनीतिक व्यवस्था में सार्थकता का एक तत्व प्रविष्ट करता है। इस तरह से देखा जाए तो बहुत कारणों से चुनावी राजनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंत तत्वों की अपेक्षा चुनावी प्रक्रिया को अधिक सरलता से संचालित किया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह है की यदि लोकतांत्रिक सरकार की प्रणाली में कोई परिवर्तन करना हो तो ऐसा करना के लिए निर्वाचन पद्धति सर्वश्रेष्ठ साधन है। क्षेत्रीय नेताओं एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय विभिन्न राज्यों में सामाजिक समूहों के उदय के कारण हुआ था। इन नेताओं एवं क्षेत्रीय दलों की आकांक्षाएँ क्षेत्र, जाति, भाषा, संस्कृति से संबंधित है। इन क्षेत्रीय नेताओं और क्षेत्रीय दलों की राष्ट्रीय राजनीति में भी 1990 के दशक के बाद महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इनमें से कुछ क्षेत्रीय नेताओं और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है तथा नीति निर्माण में भी अपनी अहम भूमिका निभायी है (सरकार 2016, पृष्ठ संख्या–1)। बिहार के कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभायी है।

1990 के दशक के बाद से भारत में चुनावी राजनीति के दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। इस समयावधि में समाज के विभिन्न वर्गों की मतदान में भागीदारी बढ़ गई। इन वर्गों में समाज के ज्यादातर नीचले हाशिये के तबके शामिल था, जैसे महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़ी जाति और ग्रामीण वर्ग इत्यादि। 1990 के दशक से मतदान के महत्व के विषय में राजनीतिक चेतना के उदय ने चुनावों में विभिन्न समाज के लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया है (कुमार 2021, पृष्ठ संख्या–1)। बिहार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बिहार में निर्वाचित प्रतिनिधियों के सामाजिक आधार में भी उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। बिहार में इस दौरान पहले के विपरीत वास्तविक सत्ता समाज के निचले वर्गों के हाथों में आया। यह सब चुनावी राजनीति के कारण सम्भव हुआ है।

बिहार में पिछड़ा वर्ग आंदोलन

पिछड़े वर्गों की संकल्पना के अंतर्गत पिछड़ी जाति को भारतीय जाति व्यवस्था में अनुसूचित जाति के ऊपर और अगड़ी जाति के नीचे माना गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में अन्य पिछड़े वर्गों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन माना गया है। इस तरह से भारतीय जाति व्यवस्था में पिछड़ी वर्ग में मध्यवर्ती जातियाँ आती है। उत्तर भारत के मुकाबले में दक्षिण भारत में पिछड़े वर्ग पहले हीं संगठित हो गए थे और एक सशक्त सामाजिक आंदोलन के रूप में उभर कर आया (श्रीवास्तव 2014, पृष्ठ संख्या–676)। दक्षिण भारत के पिछड़े वर्गों ने ब्राह्मणवादी ताकतों के खलिाफ मुखर हो कर विरोध किया। दक्षिण भारत के पिछड़े वर्गों ने पिछड़ी जातियों को नौकरियों में आरक्षण देना सुनिश्चित किया। दक्षिण भारत में पिछड़ी जातियों से कई सामाजिक सुधारक और नेता उभर कर आए। इसके विपरीत उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों से सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन में कई बड़ा नेता उभर कर आया।

भारतीय संविधान ने पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रबंध किया है। मंडल आयोग के निर्माण तक पिछड़े वर्गों के लिए कोई सार्थक पहल नई किया गया था। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने पिछड़ी जातियों के हितों के संरक्षण के लिए राजनीतिक आंदोलन चलाए थे। उनके अथक प्रयास से पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना जागृत हुआ। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने उत्तर भारत की चुनावी राजनीति में व्यापक परिवर्तन लाया। राम मनोहर लोहिया ने अपने दृष्टिकोण को सप्त क्रांति कहा। लोहिया ने बताया की पिछड़ी जातियाँ, दलित, आदिवासी, महिला एवं अन्य वंचित तबकों की संख्या देश की कुल आबादी का 85 प्रतिशत है जबकि राजनीतिक पदों, आर्थिक क्षेत्रों, सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी बहुत कम है (श्रीवास्तव 2014, पृष्ठ संख्या–678)। उनका अभिमत था की पिछड़ी जातियों को नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। लोहिया पिछड़े वर्गों को अधिमान्य अवसर देने के पक्ष में था। लोहिया के सिद्धांतों से बिहार के पिछड़ी जातियों और दलित जातियों के छात्र नेता बहुत प्रभावित हुए। लोहिया ने संयुक्त समाजवादी पार्टी का गठन किया जिसका नेतृत्व उन्होंने पिछड़ी और दलित जातियों के छात्र नेता को दिया। इस सब के बावजूद भी पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना नहीं आ पाया था।

देशभर में 1990 के दशक से पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना आया है। लेकिन बिहार में पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन के बाद से ही आ गया था। सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन ने बिहार में पिछड़ी जाति के छात्र नेताओं को राष्ट्रीय राजनीति पहचान दिलाया है (शिखा, 2025, पृष्ठ संख्या–165)। बिहार के छात्र आंदोलन से स्वर्गीय रामविलास पासवान, श्री लालू प्रसाद यादव, श्री नीतीश कुमार, जार्ज फर्नांडीस जैसे महत्वपूर्ण नेता राष्ट्रीय राजनीति में उभर कर आए। इन नेताओं ने पिछड़ी जाति को गोलबंद किया और उनको राजनीतिक रूप से सशक्त किया। सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन की सफलता के कारण इंदिरा गांधी की सरकार वर्ष 1977 में लोकसभा चुनाव पराजित हो गई। इस चुनाव में कांग्रेस पराजित हुआ। कांग्रेस की पराजय ने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को भारत के कई राज्यों में चुनावी राजनीति में भूमिका निभाने का मौका दिया।

जनता पार्टी ने कई क्षेत्रीय दलों के सहयोग से केंद्र में वर्ष 1977 में सरकार बनायी। जनता पार्टी ने मोरारजी देशाई को प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री मोरारजी देशाई ने बिहार के पिछड़ी जाति के नेताओं की सलाह पर वर्ष 1990 में बी०पी० मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। बी०पी० मंडल की अध्यक्षता में देशभर में पिछड़ी जातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन का व्यापक अध्ययन किया गया। वर्ष 1980 में बी०पी० मंडल के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट को भारत सरकार को समर्पित किया। लेकिन वर्ष 1980 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत हुई। कांग्रेस पार्टी ने चुनावी राजनीति में नुकसान के डर से मंडल आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन बी०पी० सिंह की सरकार ने वर्ष 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। इस रिपोर्ट को लागू करने के बाद पिछड़ी जाति राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति का केंद्र बिंदु बन कर उभरा। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सिफारिश किया।

मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में बिहार के पिछड़ी और दलित जातियों से आने वाले नेता श्री लालू प्रसाद, श्री नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, श्री शरद यादव का महत्वपूर्ण योगदान था। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बिहार की राजनीति में मंडल राजनीति आरंभ हुआ (श्रीवास्तव 2014, पृष्ठ संख्या–677)। मंडल राजनीति से बिहार में पिछड़ा वर्ग आंदोलन आरम्भ हुआ। मंडल राजनीति ने बिहार के चुनावी राजनीति को बहुत प्रभावित किया है। वर्ष 1990 से बिहार में पिछड़ी जातियों के नेताओं ने अलग–अलग राजनीतिक दलों के माध्यम से शासन किया है। बाद में बिहार में जनता दल से समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यूनाइटेड) और लोक जनशक्ति पार्टी जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जन्म हुआ। इन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने पिछड़ी जाति, दलितों,

आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे को आधार बना कर वर्ष 1990 से अब तक बिहार में शासन किया है।

बिहार में मंडल राजनीति के दौर में चुनावी राजनीति में पिछड़ी एवं अति पिछड़ी जातियों की भूमिका

बिहार में बहुसंख्यक आबादी पिछड़ी जातियों की है। बिहार में पिछड़ी जातियों की आबादी लगभग 63 प्रतिशत है। जिनमें से करीब 36 प्रतिशत आबादी अति पिछड़ी जातियों की है। कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने बिहार में आरक्षण का विभाजन पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में किया था। उन्होंने अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण दिया था। बिहार में अति पिछड़ी जातियों में 112 से अधिक जातियाँ शामिल है। मंडल राजनीति ने बिहार की चुनावी राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। मंडल राजनीति के कारण पिछड़ी जातियों में राजनीतिक जागरूकता आया है (रानी 2024, पृष्ठ संख्या–1)। बिहार में श्री लालू प्रसाद, श्री नीतीश कुमार, स्वर्गीय शरद यादव, स्वर्गीय रामविलास पासवान इत्यादि नेता मंडल मसीहा के रूप में राजनीतिक परिदृश्य में आए। 1990 के दशक में मंडल राजनीति ने भारतीय जनता पार्टी की कमंडल राजनीति को पराजित किया था। मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने बी०पी० सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की सिफारिश किया था।

बी०पी० सिंह की सरकार ने पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा किया। बी०पी० सिंह सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के विरोध में समर्थन वापस ले लिया था। इसके कारण बी०पी० सिंह की सरकार गिर गई। पिछड़ी जातियों में इस आरक्षण के कारण बहुत तेजी से राजनीतिक जागरूकता आया। पिछड़ी जातियों ने मंडल राजनीति को स्वीकार कर लिया और इस सिद्धांत पर आधारित राजनीति को आगे बढ़ाया (घोष 2020, पृष्ठ संख्या–1)। बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में इसे मंडल राजनीति कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल राजनीति की बढ़ते ताकत को समाप्त करने के लिए लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए देश भर में रथ यात्रा निकाला था। इस रथ यात्रा को कमंडल राजनीति कहा गया है। इस रथ यात्रा ने देश भर में दंगे करवाए।

बिहार की पिछड़ी जातियों के नेता ने सही समय पर पहचान लिया की पिछड़ी जातियों के आरक्षण खत्म करने के लिए यह सब किया जा रहा है। बिहार में वर्ष 1990 में जनता दल की सरकार विधान सभा चुनाव जीत कर सत्ता में आयी थी। श्री लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्य मंत्री बने थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ी जातियों को अपने हितों की रक्षा के लिए गोलबंद किया। इस दौर में पिछड़ी जातियों की राजनीतिक सक्रियता बहुत बढ़ा। मंडल राजनीति के कारण 1990 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का बिहार के चुनावी राजनीति से वजूद खत्म हो गया (श्रीवास्तव 2014, पृष्ठ संख्या–680)। हालाँकि जनता दल में राजनीतिक नेतृत्व को लेकर शीघ्र हीं मतभेद उत्पन्न हो गया। जनता दल राजनीतिक नेतृत्व की बात को लेकर दो पक्षों में बँट गया था। एक पक्ष का नेतृत्व श्री लालू प्रसाद यादव कर रहे थे तो दूसरे पक्ष का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे।

वर्ष 1994 में श्री नीतीश कुमार ने राजनीतिक मतभेद के कारण जनता दल से अलग होकर अलग पार्टी समता पार्टी का गठन किया। समता पार्टी के संस्थापक नीतीश कुमार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चुनौती देने के लिए कुर्मी–कुशवाहा जातियों के सम्मेलन का आयोजन करवाया था। दूसरी तरफ इस दौर के चुनावों में लालू प्रसाद को अति–पिछड़ी जातियों, दलितों और मुस्लिमों का समर्थन मिलता रहा। बिहार के सबसे बड़ी आबादी को साध्य कर बिहार की राजनीतिक सत्ता मंडल मशीहा के नाम से प्रसिद्ध श्री लालू प्रसाद के पास ही रहा। नीतीश कुमार के जनता दल से बाहर हो जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व को लेकर जनता दल में मतभेद उत्पन्न हुआ। बिहार की राजनीति में अपने को स्थापित करने के लिए वर्ष 1997 में जनता दल से अलग होकर श्री लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया।

फिर चारा घोटाले में श्री लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी। जनता दल में राजनीतिक नेतृत्व को लेकर पुनरू मतभेद उत्पन्न हुआ जिसके परिणामस्वरूप बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता रामविलास पासवान ने एक नई राजनीतिक पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का गठन वर्ष 2000 में किया। बिहार के चुनावों में लोक जनशक्ति पार्टी को दलितों का समर्थन मिलता रहा है। वर्तमान समय में लोक जनशक्ति पार्टी एक राज्य स्तरीय मान्यता पार्टी दल है जो कि एनडीए गठबंधन में शामिल है। वर्ष 2005 तक श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रही। वर्ष 1990 से वर्ष 2005 तक तीन विधान सभा चुनाव हुए। इन तीनों विधान सभा चुनाव में पिछड़ी जातियों, दलितों, अति पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों ने राष्ट्रीय जनता दल को अपना समर्थन दिया था।

बिहार की चुनावी राजनीति में परिवर्तन का दौर

बिहार की राजनीति में वर्ष 2005 में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। दरअसल वर्ष 2005 में बिहार विधान सभा चुनाव में लालू प्रसाद के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल की हार हुई थी। इस विधानसभा चुनाव में भी पिछड़ी एवं अति पिछड़ी जातियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। इस विधान सभा चुनाव में अति पिछड़ी जातियों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड को अपना वोट दिया था जिसकी वजह से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। दो दशकों से भी ज्यादा समय से, नीतीश कुमार बिहार में राजनीतिक गंभीरता, खंडित जनादेश और कट्टर प्रतिद्वंद्वियों को दरकिनार करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं (रानी 2024, पृष्ठ संख्या–1)। पिछले 20 सालों से नीतीश बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं। यह सब इस तथ्य के बावजूद कि उनकी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) को राज्य विधानसभा में कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। नीतीश कुमार 1999 के बाद से कम से कम छह बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के बीच बारी–बारी से सत्ता में आए हैं। नीतीश 2015 में यूपीए में शामिल होने से पहले 1999 से 2013 तक भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ थे। 2017 में, वह एनडीए में लौट आए, केवल 2022 में फिर से यूपीए के साथ गठबंधन करने के लिए आए। एक साल बाद, वह भारत ब्लॉक में शामिल हो गए, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, वह एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए।

विडंबना यह है कि इन राजनीतिक दांव–पेंचों के बावजूद, बिहार की हर बड़ी राजनीतिक ताकत नीतीश कुमार के पक्ष में है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं, जो बिहार की आबादी का केवल 3 प्रतिशत है। अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर में, नीतीश को श्लव–कुशश (कुर्मी–कुशवाहा) का भरपूर समर्थन मिला और वे उनके निर्विवाद नेता माने गए। नीतीश ने विकास के एजेंडे पर भी ध्यान केंद्रित किया और शराबबंदी जैसी अपनी कई महिला–समर्थक नीतियों से लोकप्रियता हासिल की। लेकिन समय के साथ, नीतीश को एहसास हुआ कि राजद या भाजपा पर बढ़त हासिल करने के लिए उन्हें अपना जनाधार बढ़ाना होगा। इसलिए, जदयू प्रमुख ने कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर

अपनी राजनीति को ढालकर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित करके, पूरे अति पिछड़े समुदाय के इर्द–गिर्द अपना जनाधार बनाने की सचेत कोशिश की (सिंह 2025, पृष्ठ संख्या–20)। नीतीश ने धीरे–धीरे खुद को अत्यंत पिछड़ा वर्ग के ष्पोस्टर बॉयष के रूप में स्थापित कर लिया, जो बिहार की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है।

2023 में जातिगत सर्वेक्षण की घोषणा करके, नीतीश ने अपनी राजनीति को फिर से जीवंत कर दिया और अपनी ष्सामाजिक न्यायष के अगुआ होने की की साख को मजबूत किया (एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2024, पृष्ठ संख्या–1)। सर्वेक्षण के जरिए, मुख्यमंत्री श्री नीतीश ने औपचारिक रूप से अपने वोट बैंक का भी ऐलान कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि उन्हें या उनकी पार्टी को हाशिये पर नहीं धकेला जा सकता। दरअसल जातिगत सर्वेक्षण नीतीश कुमार को बिहार की सबसे बड़ी आबादी के नेता के रूप में पेश करने के लिए किया गया था। जातिगत सर्वेक्षण का उद्देश्य नीतीश कुमार को बिहार की आबादी के सबसे बड़े हिस्से के नेता के रूप में पेश करना था, न कि केवल लव–कुश नेता के रूप में। यह अभ्यास राजद के लिए एक अनुस्मारक भी था कि नीतीश के पास व्यापक मतदाता आधार है – लगभग 36 प्रतिशत – जबकि लालू प्रसाद यादव का एमवाई (मुस्लिम–यादव) समर्थन आधार लगभग 32 प्रतिशत है। 122 जातियों में अपने कोर मतदाता में आधार बनाना आसान नहीं है।

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इन समुदायों को लक्ष्य करके कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश एनडीए के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी मुस्लिम मतदाताओं के बीच कुछ पकड़ है। हालाँकि, हाल ही में नए वक्फ कानूनों के पारित होने के बाद, यह देखना बाकी है कि यह घटनाक्रम मुस्लिम समुदाय के बीच उनके समर्थन को कैसे प्रभावित करता है। जातिगत सर्वेक्षण से पता चला कि राज्य में अति पिछड़ी जातियों में 122 जातियाँ शामिल हैं। अगर 10 प्रतिशत मुस्लिम अति पिछड़ी जातियों को छोड़ दिया जाए, तो 26 प्रतिशत नीतीश के प्रबल समर्थक माने जाते हैं (शिखा 2025, पृष्ठ संख्या–164)। यदि चुनावी विश्लेषण करें कि 2020 के विधानसभा चुनावों में जेडी(यू) का प्रदर्शन कैसा रहा तो अत्यंत पिछड़ी जातियों के राजनीतिक महत्व का पता चलता है। हालाँकि यह 2000 के बाद से पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था, फिर भी जेडी(यू) ने जिन 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 32.83 प्रतिशत वोट हासिल करने में कामयाबी हासिल की, जबकि उसकी सहयोगी भाजपा और राजद के नेतृत्व वाला विपक्ष दोनों हीं उसके पक्ष में नहीं था। इससे नीतीश कुमार के वफादार मतदाता आधार का पता चलता है जो काफी हद तक उनके साथ बना हुआ है। अगर लव–कुश मतदाताओं (करीब 7 प्रतिशत कुर्मी और कोइरी) को 26 प्रतिशत गैर–मुस्लिम अति पिछड़ी जातियों के साथ मिला दिया जाए, तो यह संख्या 33 प्रतिशत हो जाती है।

वर्ष 2004 से, नीतीश ने विशेष रूप से ईबीसी को लक्ष्य करके अनेक योजनाएं शुरू करके ईबीसी समुदाय में एक नेता की कमी को पूरा किया है, जैसे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, प्राथमिक कक्षाओं से छात्रवृत्ति योजनाएं, स्कूल यूनिफॉर्म, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, व्यावसायिक प्रशिक्षण, तथा आवास और रोजगार योजनाएं। हालांकि, इन चुनावों में नीतीश कुमार को चिराग पासवान के रूप में चुनौती मिलती दिख रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल ही में घोषणा की है कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह नीतीश के लिए चिंता का गंभीर विषय हो सकता है, क्योंकि जेडीयू की तरह लोजपा का वोट बैंक भी ईबीसी और अनुसूचित जातियों में है। यह चुनाव ईबीसी वोट बैंक पर नीतीश की पकड़ और उनके पोस्टर ब्वॉय के रूप में उनकी छवि के लिए एक अग्निपरीक्षा के रूप में काम करेगा – खासकर उनके कथित स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के मद्देनजर, जिसे विपक्ष ने बार–बार उठाया है।

जातिगत सर्वेक्षण और जातिगत जनगणना से बना नया राजनीतिक समीकरण

भारत में जातिगत जनगणना की मांग दशकों पुरानी है। इसका उद्देश्य अलग–अलग जातियों की संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण देना और जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना बताया जाता है। माना जाता है कि बीजेपी को इस तरह की जनगणना से डर यह है कि इससे अगड़ी जातियों के उसके वोटर नाराज हो सकते हैं, इसके अलावा बीजेपी का परंपरागत हिन्दू वोट बैंक इससे बिखर सकता है। वहीं विपक्षी राजनीतिक दल सामाजिक न्याय के नाम पर साल 2024 के चुनावों में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर दबाव बनाने और दलित, पिछड़े वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर पाने में सफल रहा है (एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2024, पृष्ठ संख्या–1)। इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने साल 2010–11 में देशभर में आर्थिक–सामाजिक और जातिगत गणना करवाई थी लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। इसी तरह साल 2015 में कर्नाटक में जातिगत जनगणना करवाई गई। लेकिन इसके आंकड़े भी कभी सार्वजानिक नहीं किए गए। जातियों की जनसंख्या के मुताबिक आरक्षण की मांग सबसे पहले 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेता कांशीराम ने की थी। यूपी की समाजवादी पार्टी भी जातिगत जनगणना की मांग करती रही है। दक्षिण भारत की कई पार्टियां इस तरह की जनगणना की मांग करती रही हैं।

जबकि बिहार सरकार ने भी इसी साल जातिगत सर्वेक्षण की शुरुआत कराई थी, लेकिन यह मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण कराने का फैसला 2023 में हुआ था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार में नीतीश कुमार की सहयोगी थी और उसने इस फैसले का समर्थन किया था। इसी साल 7 जनवरी को बिहार सरकार ने राज्य में जातीय सर्वे की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। लेकिन एक जनहित याचिका के जरिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट और फिर पटना हाई कोर्ट पहुंच गया। जातिगत जनगणना की बात आते ही अक्सर बहुत सी चिंताएं और सवाल भी सवर्ण जातियों के समक्ष उठ खड़े होते हैं। इनमें से एक बड़ी चिंता ये है कि इसके आंकड़ों के आधार पर देशभर में आरक्षण की नई मांग शुरू हो जाएगी। दरअसल जातिगत संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर विपक्ष दलितों और पिछड़ों के बड़े वोट को अपने पक्ष में लाना चाहता है (एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2024, पृष्ठ संख्या–1)। दूसरी तरफ बीजेपी नहीं चाहती है कि देश में जातिगत जनगणना हो। उनको पता है कि जो पिछड़े हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा होगी और इससे आरक्षण को उनकी आबादी के अनुपात में देना होगा। बीजेपी को लगता है कि इससे अगड़ी जाति का उसका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। विपक्ष राजनीतिक दल आबादी के आधार पर सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी की बात करता है।

भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना कराने की शुरुआत साल 1872 में की गई थी प्रेस (प्रेस सूचना ब्यूरो 2025, पृष्ठ संख्या–1)। अंग्रेजों ने साल 1931 तक जितनी बार भी भारत की जनगणना कराई, उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। आजादी हासिल करने के बाद भारत ने जब साल 1951 में पहली बार जनगणना की, तो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को जाति के नाम पर

वर्गीकृत किया गया। तब से लेकर भारत सरकार ने नीतिगत फैसले के तहत जातिगत जनगणना से परहेज किया है। लेकिन 1980 के दशक में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ जिनकी राजनीति जाति पर आधारित थी। इन दलों ने ऊंची जातियों के वर्चस्व को चुनौती देने के साथ–साथ निचली जातियों को सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर अभियान शुरू किया (एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2024, पृष्ठ संख्या–1)। साल 1979 में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया था। मंडल कमीशन ने ओबीसी श्रेणी के लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। लेकिन इस सिफारिश को 1990 में लागू किया जा सका। इसके बाद देशभर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किए थे। चूंकि जातिगत जनगणना का मामला आरक्षण से जुड़ चुका था, इसलिए समय–समय पर राजनीतिक दल इसकी मांग उठाने लग गए। आखरिकार साल 2010 में बड़ी संख्या में सांसदों की मांग के बाद सरकार इसके लिए राजी हुई थी। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि 2011 में की गई सामाजिक–आर्थिक जातिगत जनगणना में हासिल किए गए जातिगत आंकड़ों को जारी करने की उसकी कोई योजना नहीं है। सरकार के मुताबिक इस जनगणना में कई तरह की विसंगतियां थीं।

जाति आधारित जनगणना और आरक्षण की 50 फीसदी सीमा तोड़ने की मांग को मंडल राजनीति का तीसरा अवतार के रूप में देखा गया है। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि मंडल राजनीति का यह तीसरा अवतार दस्तक देने वाला है। 1990 के दशक में मंडल कमीशन लागू होने के बाद जिन क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ वे इन माँगों को मजबूती से उठा रही हैं। पिछले कुछ चुनावों में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में, इन क्षेत्रीय पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के सफल चुनावी अभियानों को देखा है (कुमार, 2025, पृष्ठ संख्या–62)। ओबीसी में प्रभुत्व वाली जातियों के बदले जिनका प्रभुत्व नहीं रहा है, उन्हें तवज्जो देना, ऊंची जातियों और ओबीसी–एससी में गैर–प्रभुत्व वाली जातियों का एक शक्तिशाली गठबंधन बनाना, बीजेपी की अहम चुनावी रणनीति रही है। श्टिकट बाँटने, मंत्री बनाने और कुछ विधायी हस्तक्षेप को देखें तो लगता है कि बीजेपी ने मंडल राजनीति के नए वर्जन का प्रबंधन किया है। बीजेपी ने इस प्रबंधन में हिन्दुत्व की राजनीति को भी साथ रखा है। 2011 की जनगणना में जाति आधारित सामाजिक आर्थिक स्थिति के ब्यौरे को मोदी सरकार ने जारी नहीं किया था। इसके अलावा ओबीसी के भीतर नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को लेकर कम प्रभुत्व वाली जातियों की स्थिति देखने के लिए बनाई गई जी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं आई है जबकि 2017 में इस कमीशन को बनाने के बाद से 11 बार कार्यकाल का विस्तार दिया जा चुका है (कुमार, 2025, पृष्ठ संख्या–67) ।

क्षेत्रीय पार्टियों में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि बीजेपी ओबीसी की सही तादाद बताए और उसके बाद आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को बढ़ाए। अगर बीजेपी इसे नहीं मानती है तो इनके लिए यह कहने में आसानी होगी कि बीजेपी अन्य पिछड़ी जातियों के साथ धोखा कर रही है जबकि उनके ही वोट से सत्ता में पहुँची है। इसके अलावा मंडलवादी पार्टियाँ सामान्य जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए जो 10 फीसदी आरक्षण दिया गया है, उसमें उप–वर्गीकरण की ओर इशारा कर रही हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी ने ओबीसी को लेकर जो कदम उठाए हैं, उसे ऊंची जातियों को अपने पक्ष में रखने के लिए संतुलित किया है। बीजेपी में बड़ी संख्या में ओबीसी सांसद हैं, लेकिन ऊंची जातियों की भावना की उपेक्षा नहीं की गई है, खास कर उत्तर प्रदेश में जहाँ इनका वोट करीब 18 से 20 फीसदी है।

बिहार में वर्ष 2025 में विधानसभा चुनाव होना है जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जातीय जनगणना कराने के लिए एकजुट नजर आ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे पर लगातार बयान देकर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी है और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी दबाव बना रही है (एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2024, पृष्ठ संख्या–2)। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके मोदी सरकार को पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी कहा था। इसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव ने भी जातीय जनगणना नहीं होने पर जनगणना के ही बहिष्कार की बात कह दी है। यदि बिहार में जातिगत जनगणना मुद्दा बन जाए तो चुनाव परिणाम क्षेत्रीय दलों के पक्ष में साबित होगा क्योंकि बिहार चुनाव में हमेशा से जातीय मुद्दा प्रभावी रहा है। जातीय जनगणना का मामला असल में ओबीसी यानी अति पिछड़ी जातियों की जनगणना का मामला है। बिहार की राजनीति में पिछड़ी जातियों एवं अत्यंत पिछड़ी जातियों का बहुत प्रभाव है। राजद हो या जदयू दोनों का वोट बैंक दलित जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ और अत्यंत पिछड़ी जातियाँ रही हैं (सिंह 2025, पृष्ठ संख्या–20)। यहां तक की बीजेपी को भी अति पिछड़ा वर्ग की कुछ जातियों से समर्थन मिला है। ऐसे में जेडीयू और राजद ने जातीय जनगणना पर अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। राजद संभवतरू अपने पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियाँ का आधार को मजबूत करना चाहती है। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अत्यंत पिछड़ी जातियाँ का कुछ मत पाकर विधानसभा चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। राजद को जदयू से लगभग दोगुनी 75 सीटें हासिल हुई थीं। लेकिन, फिर भी जदयू और बीजेपी के गठबंधन के चलते राजद सत्ता में नहीं आ पाई। ऐसे में राजद मजबूत विपक्ष बनकर सामने आई थी और वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहती है। राजद अगर अपने जनाधार को बढ़ा पाती है तो आने वाले समय में उसकी स्थित और बेहतर हो सकती है। अति पिछड़ी जातियों को नीतीश कुमार ने तरजीह दी और उन्हें आगे बढ़ाया। वो राजद के साथ पहले की तरह नहीं रहीं। इससे चुनावी नुकसान भी उठाना पड़ा। अब राजद उस नुकसान की भरपाई भी करना चाहती है।

बिहार की राजनीति में एक समय ऐसा रहा है जब लालू यादव की छवि ओबीसी जातियों के एक बड़े नेता के तौर पर थी, लेकिन धीरे–धीरे गैर–यादव जातियां जैसे कुर्मी, कोइरी, कहार, बेलदार आदि राजद से छिटकती चली गईं। नीतीश कुमार को भी गैर–यादव ओबीसी जातियों का समर्थन मिला और अलग–अलग जातियों के छोटे–छोटे दल भी उभर आए। इससे पिछड़ी जातियों की पार्टी के तौर पर राजद की छवि धूमिल होती गई। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोपों के बीच राजद को यादवों की पार्टी भी कहा जाने लगा। अब लालू यादव सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाली पार्टी की छवि और पिछड़ी एवं अत्यंत पिछड़ी जातियों का व्यापक जनाधार वापस पाना चाहते हैं (सिंह 2025, पृष्ठ संख्या–22)। 1980 के दशक में मंडल कमीशन बनने के समय से ही मांग चल रही है कि भारत में एससी और एसटी की जनगणना होती है, लेकिन अति पिछड़े वर्ग की नहीं होती। मंडल आयोग की सिफारिश में भी ये कहा गया है कि उन्हें ये रिपोर्ट तैयार करते हुए इसलिए मुश्किल आई क्योंकि भारत में पिछड़ी के बारे में उनके पास कोई प्राथमिक और प्रामाणिक डेटा ही नहीं था। पिछड़ी जातियों का किसी तरह का प्रामाणिक डेटा नहीं होने की वजह से मंडल आयोग द्वारा प्रस्तुत सभी सिफारिशों को आज तक कार्यान्वयन नहीं किया गया है

जिसकी वजह से आज तक पिछड़ी जातियों को पूरी भागीदारी मिली ही नहीं है। किसी वर्ग की सही भागीदारी देने के लिए उसकी संख्या का पता होना जरूरी है। इसलिए सम्पूर्ण देश में पिछड़ी जातियों की गिनती होना जरूरी है। नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के सहयोगी हैं, लेकिन फिर भी वो जातीय जनगणना के पक्ष में बोल रहे हैं। बीजेपी के दलित और पिछड़े वर्ग के विधायक भी जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सबसे ज्यादा उहापोह की स्थिति में है और इस सबके बीच यूपी में चुनाव भी हैं। अगर ये बहुत बड़ा मुद्दा बना तो बीजेपी का ओबीसी जनाधार दरक सकता है। इससे बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना को करवाने का निर्णय लिया है (एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2024, पृष्ठ संख्या–1)।

पिछड़ी जातियों के लिए इस समय 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है जो उनकी जनसंख्या में भागीदारी के आधार पर तय गई है। ये जनसंख्या 1931 में हुई जातिगत जनगणना में सामने आई थी। 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया था। 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं (अब्जर्वर रीसर्च फाउंडेशन 2019, पृष्ठ संख्या–1)। इसी बीच साल 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, उसकी एक सिफारिश को लागू किया था। ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27 प्रतिशत आरक्षण देने की थी। इस फैसले ने भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। जानकारों का मानना है कि भारत में पिछड़ी आबादी कितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है। लेकिन, अगर ये ठोस आधार निकल आता है तो क्षेत्रीय दलों को राजनीति का नया आधार मिल सकता है। जातीय जनगणना से पता चल जाएगा कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है। अगर किसी जाति की जनसंख्या ज्यादा निकलती है तो उसके लिए सुविधाओं और आरक्षण की मांग हो सकती है (कुमार 2025, पृष्ठ संख्या–35)। बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में उसकी भागीदारी से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। ऐसे में राजद को भी इन नए समीकरणों की उम्मीद हो सकती है।

बिहार सरकार ने वर्ष 2023 में राज्य में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए, जिसका आने वाले दिनों में बिहार की चुनावी राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। आंकड़े बताते हैं कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील 113 जातियों का समूह, जिन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) कहा जाता है, राज्य की कुल 13.07 करोड़ आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा 36 प्रतिशत है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग 27 प्रतिशत है, जो कि कुल 63 प्रतिशत हो जाता हैय ये सभी मिलकर पिछड़े वर्गों का एक बड़ा सामाजिक वर्ग बनाते हैं। राज्य की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 17.7 प्रतिशत है, जिसमें ईबीसी और ष्उच्च जातिष के मुसलमान शामिल हैं (कुमार, संजय 2025, पृष्ठ संख्या–1)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तत्कालीन उप–मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कानूनी उलझन से बचने के लिए इसे "जाति–आधारित जनगणना" कहने का फैसला किया दृ न कि "जाति जनगणना" दृ क्योंकि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने 2021 में लोकसभा को बताया था कि "जाति जनगणना" करना कानूनी रूप से उचित नहीं होगाय कानून केवल एससीध्एसटी समूहों की गणना का प्रावधान करता है। बिहार का जातिगत सर्वे का जाति–वार ब्यौरा दर्शाता है कि हिंदुओं में ष्उच्च जातिष समूह, जिन्हें भाजपा का मुख्य आधार माना जाता है, केवल 10.6 प्रतिशत हैं – ब्राह्मण 3.7 प्रतिशत, राजपूत (ठाकुर) 3.4 प्रतिशत, भूमिहार 2.9 प्रतिशत और कायस्थ 0.6 प्रतिशत।

टेबल संख्या 1: बिहार में जाति सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न जातियों की आबादी

क्रम संख्या	बिहार में बड़ी आबादी के अनुसार विभिन्न जातियाँ	बिहार की जनसंख्या में विभिन्न जातियों का हिस्सा (प्रतिशत में)
1.	यादव	14
2.	पासवान	5.66
3.	कुशवाहा	5.25
4.	मुशहर	3
5.	कुर्मी	2.87
6.	तेली	2.81
7.	मल्लाह	2.6
8.	बनिया	2.31
9.	कानू	2.21

स्रोत: गृह विभाग, बिहार सरकार

इस जातिगत सर्वेक्षण में सभी जातियों और समुदायों, धार्मिक और गैर–धार्मिक दोनों समूहों, जिनमें ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं, के परिवारों के मुखियाओं की गणना की गई। गणना किए गए परिवारों की संख्या 2.8 करोड़ है। कुल मिलाकर, पुरुषों की आबादी 6.4 करोड़ और महिलाओं की 6.1 करोड़ है, और पुरुष–महिला लिंगानुपात 1,000रू953 है। लगभग 53.7 लाख बिहारी राज्य के बाहर रहते हैं। राजनीतिक रूप से, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, मुसलमानों के साथ, राजद, जद(यू) और कांग्रेस, तथा वामपंथी दलों वाले छह–दलीय महागठबंधन का आधार माने जाते हैं। भाजपा ष्उच्च जातिष समूहों के सुनिश्चित समर्थन पर निर्भर रही है, और साथ ही, शेष विभिन्न समूहों के एक बड़े हिस्से को अपने पक्ष में करने की भी कोशिश कर रही है। ओबीसी समूहों के विपरीत, सामान्य श्रेणी में वर्गीकृत ष्उच्च जातियांष राज्य की जनसंख्या का 15.5 प्रतिशत हिस्सा हैं, जबकि अनुसूचित जाति (एससी) समूह 19.7 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (एसटी) 1.7 प्रतिशत है। यह पहली बार है कि स्वतंत्रता के बाद देश में जाति–आधारित जनगणना सफलतापूर्वक की गई और प्रकाशित की गई। पिछली जाति जनगणना 1931 में की गई थी। जाति आधारित जनगणना पहले ही राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान आकर्षित कर चुकी है (गृह मंत्रालय 2025, पृष्ठ संख्या–1)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही देशव्यापी जाति जनगणना कराने की मांग कर चुके हैं। महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे अन्य राज्यों से भी इसकी मांग आई थी।

टेबल संख्या 2: बिहार में जातिगत सर्वेक्षण का डेटा

क्रम संख्या	जातिगत समुदाय	जातिगत समुदाय की जनसंख्या में भागीदारी
1.	अत्यंत पिछड़ी जाति	36 प्रतिशत
2.	पिछड़ी जाति	27.1 प्रतिशत
3.	अनुसूचित जाति	19.6 प्रतिशत
4.	सामान्य वर्ग	15.5 प्रतिशत
5.	अनुसूचित जाति	1.7 प्रतिशत

स्रोत: सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार सरकार

बिहार में अति पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है, जिसकी कुल आबादी 36 प्रतिशत है, इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग है, जिनकी आबादी 27.13 प्रतिशत है। दोनों समूहों की कुल आबादी राज्य की कुल आबादी का 63 प्रतिशत है, जो 13.07 करोड़ से

थोड़ा अधिक है। सामान्य वर्ग की कुल आबादी का 15.52 है। आंकड़ों के अनुसार, हिंदू जनसंख्या का 81.99 प्रतिशत, मुस्लिम 17.7 प्रतिशत, ईसाई 0.05 प्रतिशत, सिख 0.01 प्रतिशत, बौद्ध 0. 08 प्रतिशत और अन्य धर्मों के लोग 0.12 प्रतिशत है। जाति सर्वेक्षण के अनुसार, कुशवाहा और कुर्मी समुदाय क्रमशः 4.27 प्रतिशत और 2.87 प्रतिशत हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से हैं। जाति आधारित जनगणना की मांग उठती रही है और बिहार पहला राज्य था जिसने अगस्त 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा, जद (यू), राजद, वाम, हम, एलकेध्जेपी और वीआईपी सहित सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ भेजा था। एक साल बाद, जब केंद्र ने इसमें रुचि नहीं दिखाई और कहा कि राज्य ऐसा कर सकते हैं, तो बिहार ने जाति–आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की और अक्टूबर 2023 में इसके निष्कर्ष सामने आए और तत्पश्चात इसके आधार पर आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया, इसके अलावा ईडबल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत कोटा भी जोड़ा गया। हालाँकि, जून 2024 में, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड के अधिकार क्षेत्र से बाहर और उल्लंघनकारी बताते हुए रद्द कर दिया। बाद में, बिहार सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया, लेकिन आदेश पर रोक नहीं लग सकी, जिसका अर्थ है कि राज्य 50 प्रतिशत की सीमा के साथ पुराने आरक्षण फार्मूले को जारी रखेगा।

यह मामला बिहार विधानसभा में भी विपक्ष द्वारा उठाया गया था, जिसमें सवाल उठाया गया था कि केंद्र और राज्य दोनों में श्डबल इंजनश होने के बावजूद, बिहार सरकार ने अदालती जांच से बचने के लिए दोनों कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं कराया। बिहार जाति सर्वेक्षण दृ स्वतंत्र भारत में सभी जातियों की सफलतापूर्वक गणना करने वाला ने पाया कि 112 जातियों से बनी अति पिछड़ी जातियाँ और 30 समुदायों से बनी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मिलकर राज्य की जनसंख्या का 63. 13 प्रतिशत हैं। अनुसूचित जातियाँ 19.65 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियाँ 1.68 प्रतिशत हैं। उच्च जातियों की जनसंख्या 15.52 प्रतिशत है। अब, जबकि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा कर दी है और इसे कैसे संभव बनाया गया, इस पर श्रेय लेने की होड़ तेज हो गई है, विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल के अंत में होने वाले बिहार चुनावों में इसका प्रभाव देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। यह एक तथ्य है कि जाति सर्वेक्षण ने जनगणना के साथ जाति जनगणना की अखिल भारतीय मांग का आधार बनाया। बिहार में जाति सर्वेक्षण और केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना ने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार किया है जिसकी बुनियाद पर चुनाव होने वाला है।

निष्कर्ष

बिहार की जनता राजनीतिक रूप से सबसे अधिक जागरूक है। बिहार लोकतांत्रिक राजनीति की किताबी समझ को चुनौती देता है। यह बात आम तौर पर मानी जाती है कि लोग अपनी चुनी हुई सरकार के कामकाज के आधार पर अपना फैसला देते हैं। लेकिन लोकतंत्र नेताओं की सदिच्छा और निस्वार्थ से नहीं चलता। चुनाव हारने का डर ही उन्हें सही रास्ते पर रखता है। बिहार की चुनावी राजनीति जातिगत जागरूकता और सामाजिक न्याय के इर्द–गिर्द केंद्रित है। बिहार में जातिगत जागरूकता और सामाजिक न्याय पस्पर जुड़ा हुआ है। मंडल आयोग की रिपोर्ट ने 1990 के बाद बिहार की चुनावी राजनीति का नया राजनीतिक समीकरण को तैयार किया है। बिहार वो राज्य है जहां आजादी से पहले जनेऊ आंदोलन हुआ। यादवों और कुछ अन्य गैर–ब्राह्मण पिछड़ी जातियों ने जनेऊ पहनना शुरू किया। ये वो बिहार भी है, जहां जेपी आंदोलन के वक्त संपूर्ण क्रांति के लिए हजारों लोगों ने पटना के गांधी मैदान में जनेऊ तोड़े। बिहार में राजनीतिक परिवर्तन के साथ सामाजिक परिवर्तन होता रहा, या यूं कहें कि सामाजिक परिवर्तन के साथ राजनीतिक बदलाव होता रहा। इन बदलावों की सबसे बड़ी कुंजी थी– जाति। बिहार की राजनीति में जाति एक बड़ी भूमिका निभाती है। बिहार में चुनाव प्रचार से लेकर टिकट देने तक जाति की भूमिका काफी अहम होती गई। बिहार के आम लोग जातीय भेदभाव और राजनीति में जाति की भूमिका पर काफी हद तक सहमत हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि अगर किसी एक जाति के लोग उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी जातीय एकजुटता लानी पड़ेगी। बिहार में पिछड़ी जातियों में राजनीतिक जागरूकता ने 1990 के बाद से बिहार में मुख्यमंत्री पिछड़ी जातियों से हीं दिया है। वर्ष 2023 सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का वर्ष रहा है जब बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण करवा कर सभी जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को स्पष्ट किया।

छह दशक से भी अधिक समय बाद, बढ़ती राजनीतिक और सामाजिक मांगों के बीच, सरकार ने अब आगामी राष्ट्रव्यापी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। जाति जनगणना में राष्ट्रीय जनगणना के दौरान व्यक्तियों की जातिगत पहचान को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाता है। भारत में, जहाँ जाति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करती है, ऐसे आँकड़े विभिन्न जाति समूहों के वितरण और सामाजिक–आर्थिक स्थिति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यह जानकारी सकारात्मक कार्रवाई और सामाजिक न्याय से संबंधित नीतियों को आकार देने में मदद कर सकती है। बिहार में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की सिफारिश ने जातिगत आंकड़ों को राजनीतिक चर्चा का विषय बना दिया। अद्यतन जातिगत आंकड़ों के अभाव ने इसे लागू करना कठिन और विवादास्पद बना दिया। हाल के वर्षों में, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों ने कल्याणकारी योजनाओं और आरक्षणों को दिशा देने के लिए अपने स्वयं के जाति सर्वेक्षण किए हैं। बिहार के 2023 के सर्वेक्षण में पाया गया कि ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग इसकी जनसंख्या का 63 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनाते हैं। जब 2024 में लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो इसमें पाया गया है कि अत्यंत पिछड़ी जाति के मतदाताओं ने जेडीयू में आस्था दिखाते हुए बिहार में एनडीए को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था।

संदर्भ सूची

1. अंकित, राकेश (2018), बिहार में जाति की राजनीति: ऐतिहासिक निरंतरता में दक्षिण एशिया का इतिहास और समाजशास्त्र जर्नल, खंड.12, अंक. 2, पृष्ठ संख्या- 1.14
2. गुप्ता, शैबल (2004), बिहार में नए सामाजिक कुलीनवर्ग का उदय : संकट अथवा परिवर्तन, पटना : आद्री, पृष्ठ संख्या- 1.42
3. श्रीवास्तव, सुमित सौरभ (2014), बिहार में पिछड़ी

जाति राजनीति की शुरुआत: गठबंधन, तालमेल और प्रभुत्व, द इंडियन जर्नल ऑफ़ पोलिटिकल साइयन्स, खंड-75, अंक-4, पृष्ठ संख्या-675.686

4. शिखा, स्वाति (2025), बिहार में चुनावी व्यवहार : मतदान प्रारूप में जाति, धर्म और विकास की भूमिका, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ पोलिटिकल साइयन्स एंड गवर्नन्स, खंड.7, अंक.7, पृष्ठ संख्या-161.168
5. रानी, दिव्या (2024), जाति और राजनीति, URL: https://egyankosh.ac.in/bitstream
6. सिंह, अरुप (2025), बिहार की राजनीतिक प्रक्रिया में चौथा संक्रमणकालीन दौर, जर्नल ऑफ़ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइयन्स, खंड.30, अंक.8, पृष्ठ संख्या. 19.25
7. घोष, अम्बर कुमार (2020), बिहार विधानसभा चुनाव का विश्लेषण, URL: https://www.orfonline.org/expert-speak/dissecting-bihar-assembly-elections
8. अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन (2011), बिहार का बदलता चेहरा, URL: https://www.orfonline.org/research/changing-face-of-bihar
9. राजकिशोर (2016), बिहार की राजनीति को समझना, भारतीय इतिहास कांग्रेस की कार्यवाही, खंड.77, अंक.1, पृष्ठ संख्या-539.545
10. सरकार, निरंजन (2016), बिहार से सबक: बिहार 2015 चुनाव भारतीय राजनीति के बारे में क्या कहता है, सेंटर फ़ोर ऐडवांसड स्टडी ऑफ़ इंडिया, URL: https://casi.sas.upenn.edu/iit/lessons-bihar-what-bihar-2015-election-says-about-indian-politics
11. अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन (2019), भारत, पहचान की राजनीति, चुनाव और परिणाम: क्या 2019 का लोकसभा चुनाव हमें विधानसभा चुनावों का संकेत देता है?, URL: https://www.orfonline.org/research/india-identity-politics-elections-and-outcomes-does-lok-sabha-poll-2019-give-us-clues-to-assembly-polls-56652
12. एसोसिएशन फ़ोर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म (2024), 2024 के लोकसभा चुनाव में जाति का मुद्दा चुनाव के केंद्र में आना, URL: https://adrindia.org/content/caste-returns-centre-stage-2024-lok-sabha-election
13. कुमारए जयंत और बाखलाए काला (2015), 2015 के चुनाव में जातिगत पहचान के संदर्भ में बिहार के राजनीतिक आख्यानों की व्याख्याए भारतीय इतिहास कांग्रेस की कार्यवाहीए खंड-76, अंक-1, पृष्ठ संख्या 969.75
14. झा, मनीष और पुष्पेंद्र (2016), जाति पर नियंत्रण और संघर्षों का प्रबंधनए नई दिल्ली: रूतलेज पब्लिकेशन
15. कपूर, मुदित और रवि, शमिका (2020), बिहार विधानसभा चुनाव 2020: एक विश्लेषण, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, URL: https://arxiv.org/abs/2012.06192
16. कुमार, संजय (2021), समकालीन बिहार में पिछड़ी जाति के आंदोलन को समझना, नई दिल्ली: रूतलेज इंडिया पब्लिकेशन
17. रॉबिन, सिरिल (2009), बिहार: ओबीसी राजनीति का नया गढ़, नई दिल्ली: रूतलेज इंडिया पब्लिकेशन
18. गोयल, युगांक और कौशिक, अरुण कुमार (2015), बिहार चुनावी प्रतिस्पर्धा और प्रतिनिधित्व में राजनीतिक गतिशीलताए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड-50, अंक-39, पृष्ठ संख्या-18.22
19. प्रेस सूचना ब्यूरो (2025), कैबिनेट ने आगामी जनगणना में जाति गणना को मंजूरी दी, URL: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2125526
20. प्रेस सूचना ब्यूरो (2025), भारत के लिए अगला बड़ा कदम: जनगणना 2027, URL: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=154867&NoteId=154867&ModuleId=3
21. गृह मंत्रालय (2025), जनगणना-2027 दो चरणों में जातियों की गणना के साथ की जाएगी, URL: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2133845
22. उपराष्ट्रीय सचिवालय (2025), आगामी दशकीय जनगणना में जाति-आधारित गणना एक परिवर्तनकारी कदम होगा; इससे सामाजिक न्याय आएगा: उपराष्ट्रपति, URL: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2132338

23. विश्व बैंक (2017), भारत में विचार-विमर्शपूर्ण लोकतंत्रए पॉलिसी रीसर्च वर्किंग पेपर, URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/428681488809552560/pdf/WPS7995.pdf
24. प्रेस सूचना ब्यूरो (2024), भारत में गतिशील लोकतंत्र, URL: https://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/184_india-dynamic-democracy.pdf